-:निर्णय:-

दिनांक 01.10.2025

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 183-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादी संख्या 1 की एकल खातेदारी कृषि भूमि चक 19 जेआरके तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 4/25 सम्वत 2068-2071 में पत्थर नंबर 35/244 (89) किला नंबर 4/2/0.076, 5/0.228, 6/0.253 कुल 0.557 हैक्टेयर है व वादीगण संख्या 2 व 3 की खातेदारी कृषि भूमि इसी चक 19 जेआरके में खाता संख्या-52/25 सम्वत 2068-2071 तादादी 1.948 हैक्टेयर में 0.114 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर है तथा उक्त संयुक्त खाता की भूमि विभाजन होकर वादीगण संख्या 2 व 3 को पत्थर नंबर 35/244 (89) किला नंबर 15/0.114 हैक्टेयर प्राप्त हुई है। वादी संख्या 1 की एकल खातेदारी कृषि भूमि के पत्थर नम्बर 35/244 (89) के किला नम्बर-5 के उतरी तरफ पत्थर नम्बर 35/243 (82) के किला नम्बर 25 में सड़क के चिपते दक्षिणी तरफ 0.025 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की है तथा किला नम्बर-6 के पूर्वी तरफ चिपते पत्थर नम्बर-36/244 (90) के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

ा नम्बर 10 की भूमि प्रतिवादिया संख्या-2 की खातेदारी है। इसी प्रकार वादीगण संख्या 2 व की संयुक्त खातेदारी भूमि पत्थर नम्बर 35/244 (89) के किला नम्बर 15/0.114 हैक्टेयर के ाते पूर्वी तरफ चिपते पत्थर नम्बर 36/244 (90) किला नम्बर 11 की भूमि प्रतिवादीगण ख्या-3 व 4 की खातेदारी भूमि है।

वादीगण ने यह कथन किये है कि वादीगण का चक 19 जेआरके के खाता संख्या 2/25 तादादी 1.948 हैक्टेयर के सहखातेदार गोपालचन्द पुत्र श्री चन्द्रभान के साथ मुरब्बा नम्बर 5/244 (89) के सीमांकन को लेकर विवाद हुआ जिस पर तहसीलदार हनुमानगढ़ के आदेश मांक-3 दिनांक 11-02-2013 व आदेश दिनांक 16-04-2013 की पालना में उक्त पत्थर म्बर-35/244 (89) की चारों कोनों की पैमाईश गिरदावर व तीन पटवारियों द्वारा दिनांक 4-04-2013 को की गई। इस पैमाईश से यह तथ्य ज्ञात हुआ कि वादी संख्या 1 की एकल ातेदारी कृषि भूमि किला नम्बर-5 के उतरी भू-भाग पर वादी संख्या 1 के पड़ौसी प्रतिवादी संख्या 1 जिसकी खातेदारी कृषि भूमि पत्थर नम्बर 35/243 (82) का किला नम्बर-25/0.025 हैक्टेयर है, ने करीब 538 वर्गफीट अर्थात 0.005 हैक्टेयर पर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है व इसी प्रकार वादी संख्या 1 की एकल खातेदारी कृषि भूमि किला नम्बर-6 के पूर्वी भाग पर वादी संख्या 1 के पड़ौसी प्रतिवादी संख्या 2 जिसकी खातेदारी कृषि भूमि पत्थर नम्बर 36/244 (90) किला नम्बर 10 है, ने करीब 20 गुणा 165 फीट अर्थात 0.031 हैक्टेयर पर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है व इसी प्रकार वादीगण संख्या 2 व 3 की संयुक्त खाता की कृषि भूमि पत्थर नम्बर 35/244 (89) किला नम्बर 15 की 0.114 हैक्टेयर के पूर्वी भाग पर वादीगण संख्या 2 व 3 के पड़ौसी प्रतिवादीगण संख्या-3 व 4 जिनकी खातेदारी कृषि भूमि पत्थर नम्बर 36/244 (90) किला नम्बर-11 है, ने करीब 10 गुणा 74 फीट अर्थात 0.006 हैक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी कृषि भूमि पत्थर नम्बर 35/243 (82) के किला नम्बर 25 में 0.025 हैक्टेयर में माह फरवरी 2012 में निर्माण करते समय वादी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि पत्थर नम्बर 35/244 (89) के किला नम्बर-5 की तरफ बढ़ते हुये करीब 538 वर्गफीट भू-भाग अर्थात 0.005 हैक्टेयर पर जबरन व अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया तब वादी संख्या 1 ने विवाद किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने यह आश्वासन दिया कि सीमाज्ञान होने पर यदि उसका निर्माण वादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि के किला नम्बर-5 में आता है तो वह अपना निर्माण तुरन्त हटा लेगा। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 04-02-2012 को अपना शपथ-पत्र भी निष्पादित कर वादी संख्या 1 को सुपुर्द किया। इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या-2 से 4 ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि पत्थर नम्बर 36/244 (90) के किला नम्बर-10 व 11 में रिहायश के प्रयोजन हेतु अर्सा 2 वर्ष पूर्व कच्चा-पक्का निर्माण किया तथा उन्होनें यह निर्माण किला नम्बर 10 व 11 की सीमा से बढ़कर पश्चिमी तरफ वादीगण की कृषि भूमि पत्थर नम्बर 35/244 के किला नम्बर-6 में 20 फीट बढ़कर व किला नम्बर 15 में 10 फीट बढ़कर अनाधिकृत रूप से किया। उक्त तथ्यों की जानकारी वादीगण को घटनाबही दिनांक 24-04-2013 को राजस्व कर्मचारियों द्वारा किये गये सींमाकन से हुई। उक्त कथन करते हुए वादीगण ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि पत्थर नंबर 35/244 (89) के किला नंबर 5 में उत्तरी तरफ 0.005 है0 व किला नंबर 6 के पूर्वी तरफ 0.031 है0 व किला नंबर 15 के पूर्वी तरफ 0.006 है0 भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा बिना अधिकार जबरन नाजायज कब्जा कर लिये जाने से उन्हें बेदखल किये जाने व उनके विरूद्ध बेदखली की डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर करने के उपरान्त प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन कुमार मोदी उपस्थित व प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाबदावा पेश करते हुये कथन किया किवादीगण एवं उसके मध्य आपसी

नामा दिनांक 10.02.2012 के जरिए विवाद का निपटारा हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 ने
यत घटनाबही अपनी मौजूदगी में नही होने के कथन किए तथा राजीनामा दिनांक 10.02.2012
अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को चक 19 जेआरके के किला नंबर 25 में पूर्व दिशा में 34 फुट
इंच, पश्चिम दिशा में 30 फुट 7 इंच, उत्तर दिशा में 53 फुट सड़क पर खुलती हुई व दक्षिण
शा में 52 फुट जमीन छोड़ी जाने के कथन किये। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत
त जबाव दावा का जबावुल जबाव प्रस्तुत कर यह कथन किये कि पत्थर नंबर 35/244 (89)
ा किला नंबर 5 वादी संख्या 1 से संबंधित है तथा उक्त किला नंबर 5 के संबंध में कोई
ाजीनामा नही हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अभिकथित आपसी राजीनामा का दस्तावेज दिनांक
10.02.2012 पर वादी संख्या 1 के हस्ताक्षर नहीं है तथा ना ही यह स्टाम्प वादी संख्या 1 द्वारा
क्रय शुदा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने यह मिथ्या दस्तावेज तैयार किया है। वादी संख्या 1 ने कथित
राजीनामा नही किया।

प्रतिवादीगण सख्या 2 से 4 ने पृथक से जबाव दावा प्रस्तुत किया तथा यह कथन किया कि चक 19 जेआरके के पत्थर नंबर 35/244 (89) के किला नंबर 5 व 6 प्रत्येक में 16 फुट रास्ता प्रतिवादीगण के आवागमन हेतु छोड़ा गया था तथा इस रास्ता की लिखित दयालाराम पुत्र पुरखाराम द्वारा दिनांक 19.08.1997 को जीत सिंह पुत्र सुरेण सिंह प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में की गई थी। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 से कृषि भूमि खरीद की गई है। प्रतिवादीगण ने घटनाबही में दर्ज तथ्यों से इन्कार किया तथा अतिरिक्त कथन मय काउंटर क्लेम में यह कथन किये कि वादीगण द्वारा मौका पर मौजूद रास्ता को बंद करने की गर्ज से प्रतिवादीगण पर दबाव बनाने की गर्ज से दिनांक 16.07.2013 की घटना बताते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रतिवादीगण के विरूद्ध दर्ज करवाई गई थी। जबकि मौका पर दिनांक 16.07.2013 से पूर्व ही रास्ता चालू था। वादीगण ने बदनियति पूर्वक सहखातेदार गोपालचन्द्र पुत्र चन्द्रभान के साथ हुए सीमांकन के विवाद से आगे बढ़कर प्रतिवादीगण की कृषि भूमि में बनी ढाणियों को शामिल करते हुए मौका पर कब्जा करना चाहते है। अतः वादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा चाही कि वे पत्थर नंबर 35/244 (89) के किला नंबर 5 व 6 में छोड़े गये रास्ता को किसी प्रकार से बन्द करने से निषिद्ध रहे। वादीगण ने प्रतिवादीगण सख्या 2 से 4 द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम का जबाव प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 4 ने अपनी भूमि में आने जाने हेतु कथित दयालाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट से पत्थर नंबर 35/244 (89) के किला नंबर 5 व 6 में 16-16 फुट रास्ता को खरीद करने की लिखित दिनांक 19.08.1997 को नहीं की। कथित दयालाराम ने पत्थर नंबर 35/244 (89) के किला नंबर 5 व 6 में कोई भूमि रास्ता के रूप में ना तो विक्रय की व ना ही कथित कोई रास्ता किला नंबर 5 व 6 में चालू रहा। प्रतिवादीगण ने कथित दयालाराम से षडयंत्र रचकर कूटरचित दस्तावेज तैयार किया है। यह दस्तावेज ना तो किसी कातिब दस्तावेज से तहरीर शुदा है व ना ही नोटरी पब्लिक से तस्दीक शुदा है। कथित अनुबंध के परिवर्णन से भी यह दस्तावेज बेचाननामा है जो 100/-रूपया से अधिक प्रतिफल राशि का है तथा पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण होना आवश्यक है। इस अनुबंध पत्र में अंकित परिवर्णन अनुसार भी मुख्य रोड़ तक आने व जाने हेतु किला नंबर 5 व 6 प्रत्येक में 0.025 है0 जमीन खरीद किए जाने का उल्लेख है। किला नंबर 5 व 6 के उत्तर में पत्थर नंबर 35/243 का किला नंबर 25 आता है व तत्पश्चात मुख्य सड़क आती है। अतः किला नंबर 5 व 6 में से रास्ता की भूमि खरीद करने के तथ्य संदेहस्पद है। किला नंबर 5 का उत्तरी पश्चिमीं कोना ही सड़क के चिपता हुआ है तथा इस कोने तक पहुंचने हेतु 0.025 है0 + 0.025 है0 भूमि पर्याप्त नहीं है। वस्तुतः वादीगण की भूमि पर सड़क के पार्श्वस्थ पक्की दीवार निर्मित है तथा इस दीवार को प्रतिवादीगण व अन्य अभियुक्तगण ने दिनांक 26.07.2013 को ध्वस्त किया

जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 187 दिनांक 22.07.2013 को अन्तर्गत धारा 447, 9, 504, 143 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज हुई व प्रतिवादीगण के विरुद्ध चालान सक्षम यालय में प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण ने इस फौजदारी मुकदमा में मिथ्या प्रतिरक्षा बनाने के ृश्य से इस दस्तावेज की कूटरचना की है। यदि वास्तव में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा कथित रूप दयालाराम पुत्र पुरखाराम से प्रश्नगत किला नंबर 5 व 6 की भूमि में से रास्ता हेतु भूमि क्रय ी जाती तो प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड यनामा में इस रास्ता का जिक्र अवश्य आता। पालाराम व दयालाराम पुत्र पुरखाराम ने अपनी ातेदारी कृषि भूमि चक 19 जेआरके के पत्थर नंबर 35/244 किला नंबर 5/0.228, 6-7-16-17/1.012 है0 कुल 1.240 है0 भूमि जरिए रजिस्टर्ड बैयनामेजात दिनांक 23.04. 1998 डेरा सच्चा सौदा बुधरवाली शाखा मण्डी गोलूवाला को विक्रय की है तथा इन बैयनामों में राजस्व अभिलेख में दर्ज किला नंबर 5 व 6 की समस्त भूमि विक्रय की गई है। यदि कथित अनुबंध पत्र दिनांक 19.08.1997 के अन्तर्गत दयालाराम पुत्र पुरखाराम द्वारा किला नंबर 5 व 6 प्रत्येक में 0.025 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय की हुई होती तो निश्चित रूप से उक्त भूमि को अपवर्जित करते हुए किला नंबर 5 में 0.203 है0 व किला नंबर 6 में 0.228 है0 भूमि ही डेरा सच्चा सौदा को विक्रय की जाती। डेरा सच्चा सौदा ने कालांतर में यह भूमि पवन कुमार, नवीन कुमार पुत्रगण चन्द्रभान को विक्रय की है तथा पवन कुमार, नवीन कुमार पुत्रगण चन्द्रभान से यह भूमि वादीगण संख्या 2 व 3 ने क्रय की है। डेरा सच्चा सौदा द्वारा उक्त भूमि क्रय किये जाने के दिवस से लेकर यह भूमि वादीगण द्वारा खरीद किए जाने के समय तक एवं आज भी किला नंबर 5 व 6 में कोई रास्ता ना तो मौजूद है व ना ही कभी चला। पत्थर नंबर 35/244 की पैमाईश प्रतिवादीगण व उनके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में हुई है तथा घटनाबही के समय प्रतिवादीगण के परिवार का सदस्य चरण सिंह उपस्थित रहा है। घटनाबही एक लोक दस्तावेज है तथा भू अभिलेख नियमों के अंतर्गत घटनाबही के वृतान्त एवं परिवर्णन कानूनन मान्य है। प्रतिवादीगण ने पुनः सीमांकन की कोई मांग भी नहीं की है। प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी संख्या 5 ने जबाव दावा प्रस्तुत करते हुए वादीगण को अपना वादपत्र सुदृढ़ साक्ष्य से साबित किए जाने पर याचित डिक्री प्रदत्त किए जाने में अनापति प्रकट की।

उपयपक्ष के अभिवचनों में विरोधाभास होने के कारण न्यायालय द्वारा तनकीत कायम की गई।

1 आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी कृषि भूमि पत्थर नंबर 35/243 (82) के किला नंबर 25 में 0.025 हैक्टेयर में माह फरवरी 2012 में निर्माण करते समय वादी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि पत्थर नंबर 35/244 (89) के किला नंबर 5 की तरफ बढ़ते हुए करीब 538 वर्गफीट भू-भाग अर्थात् 0.005 है0 पर जबरन व अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था तब वादी सख्या 1 ने विवाद किया तब प्रतिवादी संख्या 1 ने यह आश्वासन दिया कि यदि सीमाज्ञान होने पर यदि उसका निर्माण वादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि के किला नंबर 5 में आता है तो वह अपना निर्माण तुरन्त हटा लेगा। इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 04.02.2012 को अपना शपथ पत्र निष्पारित कर वादी संख्या 1 को सुपुर्द किया ?

– वादीगण

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

2 आया वादीगण प्रतिवादीगण सख्या 2 से 4 ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि पत्थर नंबर 36/244 (90) के किला नंबर 10, 11 में रिहायश के प्रयोजन हेतु अर्सा 2 वर्ष पूर्व कच्चा पक्का निर्माण किया तथा उन्होनें यह निर्माण किला नंबर 10 व 11 की सीमा से बढ़कर पश्चिमी तरफ वादीगण की कृषि भूमि पत्थर नंबर 35/244 के किला नंबर 6 में

20 फीट बढ़कर व किला नंबर 15 में 10 फीट बढ़कर अनाधिकृत रूप से किया। उक्त तथ्य की जानकारी वादीगण को घटनाबही दिनांक 24.04.2013 को राजस्व कर्मचारियों द्वारा किये गये सीमाकन से हुआ है ?

- वादीगण

3 आया प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 जनवरी 2014 के सेटेलाईट मानचित्र के मुताबिक भी वर्तमान में वादीगण की कृषि भूमि में से प्रतिवादीगण द्वारा आवागमन हेतु रास्ता मौका पर चालू है तथा मौजूद है जिसका उपयोग प्रतिवादीगण कर रहे है ?

- प्रतिवादी संख्या 2 ता 4

4 आया प्रतिवादीगण सख्या 2 से 4 वादीगण बदनियतिपूर्वक सहखातेदार गोपालचंद पुत्र चन्द्रभान के साथ हुये सीमांकन से भी आगे बढ़कर प्रतिवादीगण की कृषि भूमि में बनी दाणियों को शामिल करते हुए मौका पर कब्जा करना चाहते है ?

- प्रतिवादी संख्या 2 ता 4

अनुतोष -

वादीगण की ओर से साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से प्रदर्श 25 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी साक्षी उपस्थित नहीं हुआ तथा साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई-

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित अभिवचनों तथा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य से उनकी खातेदारी भूमि पत्थर नंबर 35/244 (89) के किला नंबर 5 में उत्तरी सिरे पर 0.005 है0 व किला नंबर 6 के पूर्वी भाग 0.031 है0 व किला नंबर 15 के पूर्वी भाग पर 0.006 है0 पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा किये जाने से उन्हें बेदखल किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने तर्क प्रस्तुत किया कि राजीनामा दिनांक 10.02.2012 के अनुसार वादी संख्या 1 के साथ किला नंबर 5 के संबंध में राजीनामा हो गया है तथा किला नंबर 6 व 15 में पूर्व खातेदार दयालाराम पुत्र पुरखाराम द्वारा दिनांक 19.08.1997 को जरिए लिखित रास्ता दिया हुआ है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की बेदखली की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है व वादपत्र वादीगण खारिज किए जाने का निवेदन किया।

तनकी नम्बर 1 का सिद्ध भार वादीगण पर है तथा वादीगण को यह साबित करना है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी कृषि भूमि पत्थर नंबर 35/243 (82) के किला नंबर 25 में माह फरवरी 2012 में निर्माण करते समय वादी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि पत्थर नंबर 35/244 (89) के किला नंबर 5 की तरफ बढ़ते हुए 0.005 है0 पर जबरन व अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया। घटनाबही प्रदर्श 6 के अनुसार पैमाईश उपरांत पत्थर नंबर 35/244 (89) के किला नंबर 5 में 0.005 है0 भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने प्रदर्श 7 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि धर्मपाल ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने अपनी भूमि पत्थर नंबर 35/243 (82) के किला नंबर 25 में दिनांक 02.02.2012 को निर्माण करना शुरू किया था तब पडौसी काश्तकार अर्थात् वादीगण द्वारा निर्माण कार्य पर एतराज किया गया जिस पर यह सहमति हुई कि विधिक प्रकिया अपनाते हुए सीमाज्ञान करवाया जायेगा तथा दिनांक 02.02.2012 के बाद किये गये निर्माण को तुरंत हटा लेगा। घटना बही प्रदर्श 6 के मुताबिक प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने किला नंबर 25 की सीमा से बढ़कर वादीगण के किला नंबर 5 की तरफ बढ़ते हुए निर्माण किया गया है। प्रतिवादी सख्या 1 ने इस तथ्य के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी रामगढ़

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य से वादीगण विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने में सफल रहे है। अतः यह विवाद्यक वादी संख्या 1 के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

तनकी नम्बर 2 - के अन्तर्गत यह तय होना है कि क्या प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि पत्थर नंबर 36/244 (90) के किला नंबर 10 व 11 में रिहायश के प्रयोजन हेतु अर्सा 2 वर्ष पूर्व कच्चा-पक्का निर्माण करते समय उन्होनें किला नंबर 10 व 11 की सीमा से बढकर पश्चिमी तरफ वादीगण की कृषि भूमि पत्थर नंबर 35/244 (89) के किला नंबर 6 में 20 फीट बढकर व किला नंबर 10, 15 में 10 फीट बढकर अनाधिकृत निर्माण किया। इस तथ्य को साबित करने के लिए वादीगण ने प्रदर्श 6 घटनाबही प्रस्तुत की है। इस घटनाबही के अनुसार वादीगण की कृषि भूमि पत्थर नंबर 35/244 (89) के किला नंबर 6 व 15 में पडौसी काश्तकार द्वारा अतिक्रमण किया हुआ पाया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में उपस्थित होकर इन तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि पत्थर नंबर 35/244 (89) के पूर्व खातेदार दयालाराम पुत्र पुरखाराम ने प्रतिवादी संख्या 4 जीत सिंह पुत्र सुरेण सिंह को अपनी भूमि में से 16, 1/2 फीट रास्ता सड़क तक पहुंच हेतु 2000/-रूपये में दिया था तथा तभी से वे इस रास्ता का उपयोग कर रहे है। इस संबध में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने एक अनुबंध पत्र दिनांक 19.08.1997 की ओर ध्यान आकर्षित किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने तर्क प्रस्तुत किया किया कि ना तो यह दस्तावेज विधि अनुसार साबित हुआ है तथा इस दस्तावेज में भी किला नंबर 5 व 6 का ही उल्लेख है, किला नंबर 6 व 15 का उल्लेख नहीं है तथा इस दस्तावेज का स्टाम्प भी दयालाराम द्वारा क्रय शुदा नहीं है व ना ही किसी कातिब के हस्ताक्षर है व ना ही नोटरी पब्लिक से तस्दीक शुदा है तथा कानूनन भी 100/-रूपया से अधिक की प्रतिफल राशि के संबंध में हुआ बेचान पंजीकरण अधिनियम की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत होना आवश्यक है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण का यह भी तर्क रहा है कि यदि वास्तव में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा कथित रूप से दयालाराम पुत्र पुरखाराम से प्रश्नगत भूमि में से रास्ता हेतु भूमि क्रय की जाती तो प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड बैयनामों में इस रास्ता का जिक्र अवश्य आता। यही नहीं अपितु पालाराम व दयालाराम पुत्र पुरखाराम ने अपनी खातेदारी भूमि चक 9 जेआरके के पत्थर नंबर 35/244 (89) के किला नंबर 5/0.228, 6, 7, 16, 17 की 1.012 है0 कुल 1.240 है0 जरिए रजिस्टर्ड बैयनामें दिनांक 23.04.1998 डेरा सच्चा सौदा बुधरवाली शाखा मण्डी गोलूवाला को विक्रय की है तथा इन बैयनामों में भी राजस्व अभिलेख में दर्ज किला नबर 5 व 6 की समस्त भूमि विक्रय की गई है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा कथित दयालाराम से रास्ता के रूप में भूमि खरीदने का तथ्य सिद्ध नहीं है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य से यह तथ्य सिद्ध हुआ है कि प्रतिवादीगण ने अपनी भूमि पत्थर नंबर 36/244 (90) के किला नंबर 10 व 11 में निर्माण करते समय वादीगण की भूमि पत्थर नंबर 35/244 (89) के किला नंबर 6 व 15 में निर्माण किया। इस प्रकार यह विवाद्यक भी वादीगण के पक्ष में निर्णित किए जाने योग्य है।

तनकी नम्बर 3 - का सिद्ध भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने इस विवाद्यक को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतः यह विवाद्यक प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

तनकी नम्बर 4 - का सिद्ध भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने इस विवाद्यक को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतः यह विवाद्यक प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

अनुतोष - अतः उक्त विवेचन अनुसार विवाद्यक संख्या 1 व 2 का निर्णय गण के पक्ष में होने से वादीगण का यह वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है। वाद पत्र कार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद-पत्र वादी डिक्री किया जाता है कि:- चक 19 जेआरके तहसील हनुमानगढ़ के थर नंबर 35/244 (89) के किला नंबर 5 के उत्तरी भाग 0.005 है0 व किला नंबर 6 के र्वी भाग 0.031 है0 व किला नंबर 15 के पूर्वी भाग 0.006 है0 से प्रतिवादीगण को बेदखल रने व उक्त भूमि का कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने की डिक्री प्रदत्त की जाती है तथा प्रतिवादी ंख्या 5 को इस डिक्री की पालना हेतु आदेशित किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ